65

संख्या–53/XVIII-(2)/F/13-4(11)/2012

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनः दिनांक 06 जनवरी, 2013

विषयः– जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत पेयजल योजनाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–147/तेरह–29(2011–12), दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 एवं तत्क्रम में अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–850/दैवी आपदा/2012–13, दिनांक 05.01.2013, जो शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत पेयजल योजनाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत उत्तरकाशी पेयजल योजना प्रथम एवं द्वितीय हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा गठित आगणन (जिनकी पूर्व में जनपद स्तर पर टी.ए.सी. हो चुकी थी) ₹ 40.00 एवं ₹ 88.00 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त विषयगत कार्य हेतु टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि क्रमशः ₹ 40.00 एवं ₹ 88.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 128.00 लाख (₹ एक करोड़, अट्ठाइस लाख मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:–

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3– स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय हेतु जारी नवीन उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

6– आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एस.डी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

7– मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि में से ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा लो0नि0वि0 के तकनीकी अधिकारियों (समक्ष स्तर) से तकनीकी परीक्षणोंपरान्त ही प्रदान की जायेगी। शासनादेश संख्या–495,

क्रमशः–2

दिनांक 30.08.2012 द्वारा जिलाधिकारियों के वित्तीय स्वीकृति अधिकार ₹ 25.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 1.00 करोड़ किये गये है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012–13 में मानसून अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त सार्वजनिक एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु ही लागू होगी।

8– मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
5. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9– वास्तविक क्षति के कार्यो पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यो, नव निर्माण तथा विकास कार्यो में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

10– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई. आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

14– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप

कृपया-3

जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर आपदा राहत निधि से निर्मित दिनांक, वर्ष तथा धनराशि सीमेन्ट कॉक्रीट पर अंकित कर दिया जाय।

15– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

16– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13 आपदा राहत निधि से व्यय –42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–152 NP/XXVII(5)/12-13, दिनांक 01 फरवरी, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या–53(1)/XVIII-(2)/F/13-4(11)/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।
13–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
14–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव